

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांक : निस/प्रशास/सानिवि/2015/30773

जयपुर, दिनांक : 07.04.2015

समस्त मुख्य अभियंता/अति मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/
समस्त अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान।

SE(WB)/SE(PMGSY)/PS

CE (PMGSY)

परिपत्र

मिथिल कुछ समय से यह देखने में आया है कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या भारत के अन्य राज्यों से अनजान व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग में पदस्थापित अधिकारियों से मोबाईल पर सम्पर्क कर मेरे नाम से यह बताते हुए कि मैं जयपुर से बाहर हूँ तथा तत्काल रूपयों की आवश्यकता है, मेरे बैंक खाते में जिसका नम्बर..... है, रूपये जमा करवायें अथवा मोबाईल नम्बर..... पर रीचार्ज करवायें या किसी अन्य प्रकार से रूपयों की मांग की जा रही है। हाल ही में ऐसे दो-तीन प्रकरण सामने आये हैं। कई अन्य विभागों के उच्चधिकारियों के नाम से भी ऐसे ही फोन विभागीय अधिकारियों को आए हैं।

अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग के सभी अधिकारियों को यह सलाह प्रदान की जाती है कि भविष्य में इस प्रकार के झूठे कॉल्स पर उस व्यक्ति द्वारा इच्छित कार्यवाही (जैसाकि बैंक खाते में जिसका नम्बर..... है, रूपये जमा करवायें मोबाईल नम्बर..... रीचार्ज करवायें या किसी अन्य प्रकार से रूपयों के बारे में मांग की जाती है) को नजरअंदाज करें। पर साथ ही इस संबंध में तत्काल स्थानीय पुलिस को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचित करें और यदि फिर भी कार्यवाही नहीं होती है तो मुझे सूचित करें।

(डी0बी0 गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान, जयपुर।

समस्त अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र की प्रति आपके अधीन कार्यरत विभाग के अधिकारियों को भी भेजने का श्रम करें।

Chief Engineer (PMGSY)

RR No. 990... Date 8/4/15.